



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 210312, 213072 फ़ैक्स 424329, 213073

www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. 6289(5) प्रशा./वि.प./बैठक/17

बिलासपुर, दिनांक 11/05/2017

पंजीकृत डाक

प्रति,


1. डॉ. अनिता सिंह
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
2. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
3. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
4. डॉ. (श्रीमती) प्रीतिरानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक (ग्रंथालय विज्ञान)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
- ✓ 5. डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
6. प्रो तीर्थेश्वर सिंह
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)
7. प्रो. एस. के. जाधव
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी विभाग)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
8. डॉ. बी. डी. मिश्रा
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

9. श्री शंशांक शर्मा
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर,
रायपुर (छ.ग.)
10. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी
आचार्य
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
11. आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, खंड सी
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रेषण।
महोदय/महोदया,


पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक दिनांक 09/05/2017 के कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


कुलसचिव

पृ. क्रं. /प्रशा./वि.प./बैठक/17 बिलासपुर, दिनांक /05/2017
प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
3. समस्त विभागाध्यक्ष ----- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. नस्ती हेतु।


कुलसचिव

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही विवरण


विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक
दिनांक 09/05/2017
समय : 01:00 बजे दोपहर
स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 23 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 32 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 09/05/2017 को दोपहर 01:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह – अध्यक्ष
कुलपति
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. डॉ. अनिता सिंह – सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
3. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह – सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक)
4. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति – सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
5. डॉ. प्रकृति जेम्स – सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
6. प्रो तीर्थेश्वर सिंह – सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)





7. डॉ. राज कुमार सचदेव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सचिव

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
2. प्रो. एस. के. जाधव
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
3. श्री शंशाक शर्मा
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी
आचार्य
स्कूल ऑफ एजुकेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
(माननीय कुलपति जी इग्नू द्वारा नामांकित) - सदस्य
5. डॉ. बी. डी. मिश्रा
सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष
प्रबंध अध्ययन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.) - सदस्य
6. डॉ. प्रीति रानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर - सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी के द्वारा नवनियुक्त सदस्य डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, डॉ. प्रकृति जेम्स एवं डॉ. प्रीति रानी मिश्रा सहित सभी सदस्यों का

RMS

18/1/22

स्वागत किया गया। कुलसचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये -

प्रस्ताव क्रं 1 विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 22 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय - विश्वविद्यालय विद्या परिषद् द्वारा कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 अध्यादेश क्रमांक 37 Post Graduate Diploma in Guidance and Counselling में सुधार पर विचार।

निर्णय - विद्या परिषद् के द्वारा अध्यादेश क्रमांक 37 में सुधार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 3 छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 42 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - चर्चा उपरांत शीर्षक में पाठ्यक्रम शब्द तथा कंडिका 1 में पाठ्यक्रम शब्द विलोपित किया गया। कंडिका 8 में "आयोजित किये जा सकेंगे" के स्थान पर " आयोजित की जा सकेगी" किया गया।

इस पाठ्यक्रम के लिये रु. 3500/- वार्षिक शुल्क प्रस्तावित किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 4 श्रेणी/ग्रेड सुधार संबन्धी प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 43 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - चर्चा उपरांत कंडिका 3 को अध्यादेश का भाग न करने का निर्णय लिया गया बल्कि शुल्क के रूप में कार्य परिषद् में रखने का प्रस्ताव माना जाय। अध्यादेश में कंडिका 1 व 2 ही रखा जाये।

प्रस्ताव क्रं. 5 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 44 PG Diploma in Constitutional & Administrative Law (PGDCAL) के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - शीर्षक में कंडिका 1 में PG Diploma in Constitutional & Administrative Law किया जाये। कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम के समकक्ष हो।





प्रस्ताव क्रं. 6 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 45 PG Diploma in Labour law & Labour Welfare के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 7 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 46 PG Diploma in Entrepreneurship Development के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 8 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 47 PG Diploma in Industrial Relations & Personnel Management के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।


यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 9 प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 48 PG Diploma in Administrative Law के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि कंडिका 3 में Maximum duration will be three years जोड़ा जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि स्व-अध्ययन-सामग्री के विकास के पश्चात् ही कार्यक्रम चलाया जाय। शुल्क अन्य डिप्लोमा पाठयक्रम के समकक्ष हो।

प्रस्ताव क्रं. 10 सहायक प्राध्यापक के शैक्षणिक पद पर नियमित नियुक्ति हेतु चयन समिति में माननीय कुलाधिपति के मनोनयन हेतु विषयवार (अंग्रेजी, वाणिज्य एवं शिक्षा) तीन-तीन विषय-विशेषज्ञों के नाम प्रेषित किये जाने पर विचार।



निर्णय – यह निर्णय लिया गया कि अकादमिक परिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 10/11/2015 में विषयवार जिस सूची का अनुमोदन किया गया है उसे ही दिनांक 10/11/2018 (तीन वर्ष) तक के लिये अनुमोदित करते हुये माननीय कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये। इन विषयों हेतु यदि नया पैनल बनाना हो, या अन्य विषयों हेतु पैनल बनाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया। वे आवश्यकतानुसार विषयों का पैनल बनाकर कुलाधिपति महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रेषित करेंगे।

प्रस्ताव क्रं. 11 स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम बी.ए. में वैकल्पिक विषय मनोविज्ञान, प्रबंधन एवं योग विज्ञान प्रारंभ करने पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 12 विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडलों के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 13 अध्यादेश क्रमांक 41 में संशोधन पर विचार।

निर्णय – प्रस्तावित संशोधन मान्य किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 14 OER Policy for PSSOU के अनुमोदन पर विचार।


निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।


अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –

प्रस्ताव क्रं. 15 विश्वविद्यालय के अकादमिक वर्ष 2017-2018 के अकादमिक कैलेंडर के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।


(राज कुमार सचदेव)
कुलसचिव/सचिव


(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)




कार्यवाही-विवरण

कार्य परिषद् की 61 वीं बैठक
दिनांक 12/05/2017, दिन शुक्रवार
समय : 12:00 बजे पूर्वान्ह
स्थान - मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 61 वीं बैठक का कार्यवाही-विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्य परिषद् की 61 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 12/05/2017, दिन शुक्रवार पूर्वान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के सिरपुर प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** — अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. **प्रो. देबाल कुमार सिंह** — सदस्य
आचार्य
समाजशास्त्र अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा मनोनीत)
3. **डॉ. बी.एल. गोयल** — सदस्य
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा कार्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मनोनीत)
4. **श्री एस.के. चक्रवर्ती** — सदस्य
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)
5. **श्री ओ. पी. सिंघानिया** — सदस्य
62/6, नेहरू नगर, ईस्ट
अग्रसेन मार्ग, भिलाई
जिला-दुर्ग (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)
6. **डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह** — सदस्य
विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)



7. डॉ. राजकुमार सचदेव — सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. उपाध्यक्ष — सदस्य
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)
2. उपाध्यक्ष — सदस्य
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)
3. सचिव — सदस्य
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
4. श्री एस. एल. नायक — सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)
5. डॉ. एस. के. जाधव — सदस्य
प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)
6. डॉ. एस. आर. पटेल — सदस्य
अधिष्ठाता
ठाकुर छेदीलाल बेरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
बिलासपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

कार्य परिषद् की बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई तथा आधे घंटे के बाद स्थगित बैठक प्रारंभ की गई। बैठक के प्रारंभ में माननीय कुलपति जी के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों स्वागत किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गये –





प्रस्ताव कं 1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 59 वीं एवं 60 वीं (आपात) बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा कार्यवाही-विवरण को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा पालन-प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव कं 2 छत्तीसगढ़ संवाद से मुद्रित उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण देयक राशि रु. 17,78,700/- के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव कं 3 कुलसचिव पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन को निरस्त किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा सूचना ग्रहण की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी विज्ञापन एक वर्ष तक के लिये वैध रहे, विशेष परिस्थिति में कार्यपरिषद् किसी विज्ञापन की वैधता 6 माह के लिये बढ़ा सकती है।

प्रस्ताव कं 4 पुनः नौकरी में बहाल करने संबंधी पत्र पर विचार – आवेदक श्री रामावतार माथुर, सहायक अध्ययन केन्द्र आरंग।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा आवेदन अस्वीकार किया गया।

प्रस्ताव कं 5 एफडीआर के परिपक्वता होने पर नीति बनाये जाने पर विचार।


निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीकृत बैंक में या भारत सरकार एवं आरबीआई के बांड में निवेश किया जाये। विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी ऐसे निवेशों में हस्ताक्षर किये जाने हेतु अधिकृत होंगे।

प्रस्ताव कं 6 चिकित्सा परिचर्या नियम में संशोधन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि विनायक नेत्रालय, बिलासपुर को CGHS रेट पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वचन पत्र मांगा जाये। उसके पश्चात् नेत्रालय को Empanel किया जाये। चिकित्सा परिचर्या नियम की कंडिका 3.3 में बच्चों के मामले में तीन जीवित बच्चों के स्थान पर दो जीवित बच्चे किया जाये।

प्रस्ताव कं 7 विश्वविद्यालय में कार्यरत् एक समान पद के मानदेय में विसंगति के संबंध में विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये मई, 2017 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।



प्रस्ताव कं 8 विद्या परिषद् की 21 बैठक दिनांक 09/05/2017 के कार्यवाही-विवरण का अनुमोदन।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव कं 9 नए अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं मान्यता अंतर्गत गठित "मान्यता समिति" के अनुशंसा पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये निर्णय लिया गया कि अन्य महाविद्यालयों के सम्बद्धता का परीक्षण करा लिया जाये।

प्रस्ताव कं 10 पी.डब्ल्यू.डी. का विषय – सुपरविजन चार्ज 7 प्रतिशत से कम कर 2 प्रतिशत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा सूचना ग्रहण किया गया।

प्रस्ताव कं 11 विश्वविद्यालय में स्टूडियों के निर्माण होने तक आउट सोर्सिंग से कार्य कराये जाने पर विचार।

निर्णय – प्रस्ताव को सिद्धांतः स्वीकृत करते हुये निर्णय लिया गया कि वर्ष 2017-18 के लिये विस्तृत प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाये तथा स्वयं के स्टूडियों तैयार करने के लिये विश्वविद्यालय प्रस्ताव तैयार करें।

प्रस्ताव कं 12 विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-2016 के वार्षिक लेखा का अंकेक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा आपत्तियों के निराकरण हेतु सी. ए. को निर्देशित किया गया कि नियत समय-सीमा में सभी आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्तुत करेंगे। कार्यपरिषद् के सम्मानीय सदस्य श्री सिंघानिया जी इस कार्य में पर्यवेक्षण रखेंगे। वित्त अधिकारी समन्वयक का कार्य करेंगे।

पूरक प्रस्ताव

प्रस्ताव कं 13 छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर के देयक रु. 20,49,444/- के कार्योत्तर भुगतान स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे गये प्रस्ताव –


प्रस्ताव कं 14 विश्वविद्यालय में मानसेवी आधार पर विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत् कर्मचारियों को उनके कार्य में उत्कृष्टता, प्रतिबद्धता एवं समर्पण को देखते हुये एक श्रेणी उपर कार्य करने की अनुमति देने पर विचार।






निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी मानसेवी कर्मचारियों के कार्यों की उत्कृष्टता, प्रतिबद्धता एवं समर्पण के आधार पर मूल्यांकन कराकर योग्य कर्मचारियों की सूची आगामी कार्यपरिषद् के बैठक में प्रस्तुत किया जाये। "ब" पर श्री संतोष कुमार पाण्डेय एवं श्रीमती अनिता दुबे को मानसेवी कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करने की अनुमति का अनुमोदन किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।


(राजकुमार सचदेव) 12.5.17
कुलसचिव / सचिव


(बंश गोपाल सिंह) 12.5.17
कुलपति / अध्यक्ष